अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 208 /2013–14

जुगाई पासवान एवं 10 अन्य बनाम बैधनाथ राय एवं 08 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। वस्तुतः वाद की विषयवस्तु में मौजा– बिठौली थाना नं0– 125 में स्थित पुराना खाता नं0– 229 खेसरा नं0– 2150, 2151, 2262 एवं 2285 की रकवा क्रमशः 03 डी0, 02 डी0, 38 डी0 एवं 40 डी0 भूमि है जिसे आवेदक जुगाई पासवान पिता– स्व0 विलट पासवान एवं 10 अन्य सभी साकिनान– शंकर लोहार विठौली थाना– बहेड़ी जिला– दरभंगा ने BLDR Act 2009 की धारा– 4 (बी0) एवं (एच) के अन्तर्गत दखल कब्जा स्थापित कर सीमांकन कराने के निमित दाखिल किया हैं इस वाद में विपक्षी बैधनाथ राय पिता– स्व0 मदन लाल राय एंव 08 अन्य सभी साकिनान– शंकर लोहार विठौली थाना– बहेड़ी जिला– दरभंगा ने उपस्थित होकर अपनी ओर से प्रतिउत्तर एवं कागजात दाखिल किया है। विपक्षीयों ने प्रश्नगत खेसरा सं0– 2150,2151, 2262 के रकवा क्रमशः 03 डी0, 02 डी0 एवं 38 डी0 भूमि पर कोई दावा नहीं किया है और न हीं उससे कोई सरोकार होना बयान किया है। आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि आवेदकों के पूर्वजों के नाम खतियानी है जिसपर आवेदकों के खानदान का पूर्ण स्वामित्व एवं दखल कब्जा चला आ रहा था, परन्तु इधर विपक्षीगण दबंगता के बल पर प्रश्नगत भूमि अपने कब्जे में करने का जबरन प्रयास कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि विपक्षीयों ने पूर्व में भी प्रश्नगत भूमि कब्जा करने का प्रयास किया था तो आवेदकों में एक राम पासवान ने अकेले हीं भूमि विवाद संख्या– 778/12–13 दाखिल किया था जो दिनांक 22.05.2013 को कार्रवाई पक्षदोष से ग्रसित होने के कारण समाप्त कर दी गई। विपक्षीयों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह	

10/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि तौजी नं0– 6585 अन्तर्गत खाता नं0– 229 की भूमि है जो तौजी भूतपूर्व मध्यवर्ती जमींदार श्रीधर नारायण राय एव हरिनन्दन राय की थी जिनके किसी भी उत्तराधिकारी को आवेदकों ने इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। विपक्षीयों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खाता नं0– 229 के खतियानी रैयत लोदी दुसाध एवं सुकल दुसाध पेसरान– बचकन दुसाध ने खेसरा नं0– 2285 के 40 डी0 भूमि को भूतपूर्व जमीन्दार को अभयर्पण कर दिया जिन्होनें उक्त खेसरा की भूमि को अपनी बकास्त भूमि में परिवर्तित कर उपभोग करना शुरू कर दिया तथा कलान्तर में उसे तौजी नं0– 6580 के मालिक के हाथ बदलैन कर लिया जिनके उत्तराधिकारीयों बाबू मदन लाल वगैरह ने खेसरा नं0– 2285 एवं 2286 की भूमि को बाबू उमाकान्त मिश्र के पुत्रों के हाथ दिनांक 20.03.1964 को केवाला द्वारा बिक्री कर दिया जिनके नाम नया सर्वे के दौरान खाता सं0– 680 अन्तर्गत नया खेसरा सं0– 2998 रकवा–23 डी0, खाता नं0– 543 अन्तर्गत खेसरा नं0– 2997 रकवा– 16 डी0 रामदेव मिश्र एवं श्रीनारायण राय वगैरह के नाम बनी है जिसपर उनका आवासीय मकान इत्यादि है जिन्हें भी आवेदकों ने इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। विपक्षीयों के विद्वाना अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदकों द्वारा कभी भी नया सर्वे के किसी भी स्तर पर उपरोक्त वर्णित किसी भी खेसरा के सृजन के उपरान्त कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, चूँकि उन्हें उपर्युक्त वर्णित तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में बताया गया कि आवेदकगण मात्र कथन के आधार पर इस न्यायालय से कोई भी अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते, अतएव आवेदकों के वाद पत्र को विपक्षीयों द्वारा अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे का अनुशीलन तथा दाखिल कागजातों का विश्लेषण किया। विदित होता है कि आवेदकों द्वारा जिस पुराने खेसरा न0– 2150, 2151 एवं 2262 पर दावा की जा रही है इससे विपक्षीयों को कोई सरोकार नही है। तथा पुराने खेसरा नं0– 2285 से बने नया खेसरा नं0– 2997 एवं 2998 के नया सर्वे के दौरान दर्ज रैयतों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को आवेदकों ने इस वाद अन्तर्गत पक्षकार नहीं बनाया है।	

10/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, ता,रीख–सहित
	अभिलेख पर इस न्यायालय से पूर्व में निष्पादित भूमि विवाद वाद सं0– 778/12–13 का आदेश उपलब्ध है जिसके अनुशीलन से स्पष्ट विदित होत है कि उक्त वाद वादी को यह निर्देश देते हुए समाप्त किया गया था कि वादी चाहे तो प्रश्नगत भूमि से संबंधित सभी व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी कर एंव पक्षकार बनाकर अलग से अपना वाद दायर कर सकते हैं। परन्तु सुनने से स्पष्ट विदित होता है कि आवेदकों ने बिना स्पष्ट जानकारी के गैर हितबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध वर्त्तमान वाद की पुनरावृति की है एवं ऐसी स्थिति में आवेदकगण इस वाद अन्तर्गत कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकों के वाद पत्र को अस्वीकृत करते हुए कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख संचिकास्त करें। **लेखापित एव शुद्धित** 10/06/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 10/06/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	